बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक–मु0अ0–4 (मु0)–ज0 यो0–20–17/2024 – 1090 /पटना, दिनांक–01/03/2024

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में 330 योजनाओं के उन्नयनार्थ स्तम्भ–6 में अंकित लम्बाई (कि0मी0/मी0) एवं स्तम्भ–10 में उन्नयनार्थ तथा पंचवर्षीय अनुरक्षण सहित अंकित राशि पर योजनावार जिनकी कुल राशि रू0 121092.96800 लाख रूपये (एक हजार दो सौ दस करोड़ बानबे लाख छियानवे हजार आठ सौ रूपये) मात्र है, पर पैकेजवार (कुल 330 योजना) प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति घटक के अधीन बिहार राज्य के विभिन्न जिलों अन्तर्गत 330 योजनाओं के उन्नयनार्थ समर्पित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जिसकी अनुमोदित राशि 05 से 15 करोड़ के बीच में है पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है जिनके लिए स्तंभ 07 एवं 09 में अंकित कुल राशि 110052.48600 लाख एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि रु0–11040.48200 लाख (स्तंभ–08) है इस प्रकार कुल राशि 121092.96800 लाख मात्र है पर विधिवत पैकेजवार (कुल 330 योजना) प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

Serial No.	Division	Scheme Serial No.	Block	Road Name	Length in Km	Cost of Upgradation/ Strengthening (in lakh)	Cost of 5-years Maintenance (in lakh)	Administrative fund and Contingency Cost (in lakh)	Total Estimated Cost (In Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bagaha-1	1	Bagaha-1	Gram Chaitanwa Tola Bahurwa Kanta to Gram Lagunaha Tola Ahirbaliya Bandh Tak Sadak	2.510	223.570	26.760	8.140	1279.210
		2	Ramnagar	L010-Semrauni to Betalni (VR20)	9.770	903.400	85.210	32.130	
2	Bagaha-1	3	Bagaha-2	Harna Tad to Khajuriya with 1st HL Bridge 2x18.75m At Ch. 1.5 km and 2nd HL Bridge 2x18.75m At Ch. 2.23 km	3.120	1297.370	38.510	43.420	1379.300
3	Bagaha-1	4	Ramnagar	Gobardhana To Gobrhia Nirman Road FDR	12.130	1333.160	117.770	47.160	1498.090
4	Bagaha-2	5	Bhitaha	L040-Baluhi to Bhagawanpur (VR24)	2.400	212.610	23.810	7.680	1491.550
		6	Bhitaha	Khaira Tola Nawagawan Bridge to Semarban Road (Recind)	11.690	1099.590	108.600	39.260	
5	Betia	7	Dairiya	Bettiah Khiriya Ghat to Paterwa Ghat	12.750	1277.370	122.560	45.500	1445.430

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

Scanned with OKEN Scanner

Serial No.	Division	Scheme Serial No.	Block	Road Name	Length In Km	Cost of Upgradation/ Strengthening (In lakh)	Cost of 5-years Maintenance (In lakh)	Administrative fund and Contingency Cost (In lakh)	Total Estimated Cost (In Lakh)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Gaya	90	Wazirganj	L011-Gaya Nawada Road to Bishunpur (VR11)	6.122	385.881	71.517	11.961	596.801
		91	Wazirganj	L102-Kudhariya To Sukhabigha (VR102)	1.614	97.430	20.160	3.822	
39	Gaya	92	Wazirganj	L11-T09 Mangrawa Road To Jhhabalpur	2.093	128.520	25.181	4.995	535.616
		93	Wazirganj	L079-Singathiya To Bhagalpur (VR79)	2.747	176.150	31.910	6.762	
		94	Wazirganj	L091-T03 Gaya Nawada Road to Karja II Tola (VR91)	2.115	130.721	26.275	5.102	
40	Mahua	95	Patepur	Mandaidih Bhawani Dwar To Ramauli Chowk	2.454	388.980	32.510	13.700	763.620
		96	Patepur	Wakad PA Lohanipatti Chowk To Nirpur Bandh Bag	3.990	283.860	34.230	10.310	
41	Muzaffarpur East-1	97	Kudhani	Larigoira Kazi Chowk To NH 28 Aaga Nagar Path	4.650	324.000	37.440	10.530	619.111
		98	Kudhani	MMGSY Chadhua Rampur Se Kishunpur Madhuban Tatma Toli	1.245	110.373	10.751	3.936	
		99	Kudhani	NH-77 Fakuli Se rammath Path	1.300	135.372	11.925	4.787	
42	Muzaffarpur East-1	100	Kudhani	Gandak Nahar Se Jamin Kamtol	2.270	201.482	20.254	7.206	693.162
		101	Kudhani	Dubiyahi To Goraiya Path	4.960	401.220	45.380	14.620	
43	Muzaffarpur East 1	102	Saraiya	Dhanpura PWD Road Se Dhanpura Vill	2.200	174.530	19.060	6.290	529.400
		103	Saraiya	Repair of Road from Chhatti Chowk Se Jatkoli Ghat	3.600	282.680	36.470	10.370	
44	Muzaffarpur West	104	Paru	PWD Road To Fatehpur	2.680	260.500	32.620	9.525	564.065
		105	Paru	Deoria Purvi Manjan Chowk To Munja Mahabir Asthan Chowk	2.650	218.690	34.500	8.230	
45	Araria	106	Palasi	L026-T01 to Kurhaili (VR26) with High Level Bridge	5.35	979.406	211.125	22.075	1212.606
46	Araria	107	Kursakata	T01-L021 to Bhag Parasai	14.508	1147.3	123.75	40.33	1311.38
47	Forbisganj	108	Forbesganj	Kirkichiya Nahar To Adiwasi Tola	2.497	190.953	19.742	6.694	607.839
		109	Forbeshganj	More Chowk to Pipra Ghat	3.5	352.27	26.07	12.11	
48	Forbishganj	110	Narpatganj	Bela - PWD Road	8.6	1323.01	45.95	44.33	1413.29
49	Forbishganj	111	Forbeshganj	L058-Matiario to Chauhan tola (VR58)	1.75	168.63	13.26	5.82	884.[illegible]
		112	Forbeshganj	Bhakhohaliya to Harijan tola	1.91	167.731	8.461	5.679	
		113	Raniganj	Farkia Chowk to Bausi Hat	4.91	459.459	39.73	15.93	
50	Forbishganj	114	Raniganj	T012 BHARAILI TO DUMRA VR29	6.12	545.035	53.442	19.038	617.513
51	Forbishganj	115	Raniganj	Dhobania To Bausi Hat	3.52	582.526	29.639	19.73	631.895
52	Benipur	116	Ghanshyampur	Sisauni to Purhad	3.3	290.493	31.61	19.46	[illegible]
		117	Ghanshyampur	T04 To Deori Tak	2.733	241.909	25.939	[illegible]	

Scanned with CamScanner

2. मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उपशीर्ष 00 103- ग्राम विकास -0121--मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अनुसूचित जाति के घटक के अधीन मुख्य योजना शीर्ष 4515 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 500 करोड़ रु0 का बजट उपबंध प्राप्त है। बिहार सरकार, वित्त विभाग के पत्रांक– 3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका 11 के अनुसार प्राप्त बजट के तीन गुणा राशि में से पूर्व के दायित्व के राशि को घटाते हुये नई योजना की स्वीकृति हेतु लोक वित्त समिति द्वारा दिनांक 22.01.2024 को BOS में 1500 करोड़ की अतिरिक्त छूट दी गयी है जिसकी प्रति पत्राचार खण्ड पर रक्षित है, जिसके आलोक में कुल 3000 करोड़ तक की योजना की स्वीकृति दी जा सकती है।
3. मांग संख्या–37 बजट शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष– 04–जिला तथा अन्य सड़कें, लघु शीर्ष –105 रख–रखाव तथा मरम्मत, उपशीर्ष–0001 ग्राम सड़क– अन्य रख–रखाव व्यय, विषय शीर्ष –2702 अनुरक्षण एवं मरम्मत, विपत्र कोड–37–3054041050001 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित किया जायेगा जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2023–24 में 4000 करोड़ रु0 का बजट उपबंध प्राप्त है। वित्त विभाग के निर्गत संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 की कंडिका–11 के अनुसार पंचवर्षीय अनुरक्षण हेतु उपलब्ध Bank of Sanction की राशि के अन्तर्गत है।
4. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
5. मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत MBD आधारित ई–निविदा से आमंत्रित कार्य की निविदा के निष्पादनोपरान्त कार्य का क्रियान्वयन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
6. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री महोदय का अनुमोदन संचिका संख्या– मु0अ0–4 (मु0)–उ0यो0–20–25/2024 में दिनांक 26.02.2024 को प्राप्त है।
7. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं का पैकेजवार (कुल 330 योजनाओं) प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–01.03.2024 को संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–उ0यो0–20–17/2024 में अनुमोदन प्राप्त है।
8. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
9. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद, दर एवं मात्रा की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य कार्यक्रम / शीर्ष से अच्छादित नहीं हो।

Scanned with OKEN Scanner

11. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।

12. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।

13. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों एवं समय–समय पर निर्गत निदेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।

14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।

15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।

17. योजनाओं के कार्यान्वियन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वियन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– मु0अ0–4 (मु0)–उ0यो0–20–17/2024 के पृ0–51/प0 पर दिनांक– 29.02.2024 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0)– उ0यो0–20–17/2024-1090 /पटना, दिनांक– 01/03/2024
प्रतिलिपि–संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

Scanned with OKEN Scanner